झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम झारखण्ड विधान–सभा

सप्तम् (शीतकालीन)– सत्र

वर्ग– 01

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, सोमवार, दिनांक– 29 अग्रहायण, 1943 [श0] / 20 दिसम्बर, 2021 [ई0] को झारखण्ड विधान– सभा के आदेश– पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0 सं0	विभागों को भेजी गई सा0 सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
उ० प्र० 35	अ0सू0–03	श्री समीर कुमार मोहंती	गरमाधान खीरदना	कृषि0 पशु0 एवं सह0 विभाग	14.12.21
उ० प्र० 36	अ0सू0–22	श्री भानु प्रताप शाही	अनुबंध कर्मियों को स्थायीकरण करना।	क0प्र0सु0 तथा रा0 विभाग	14.12.21
उ० प्र० 37	अ0सू0–23	श्री राजेश कच्छप	नीति निर्धारण करना।	क0प्र0सु0 तथा रा0 विभाग	14.12.21
उ० प्र० 38	अ0सू0–10	श्री विरंची नारायण	पदाधिकारियों पर कार्रवाई	क0 प्र0 सु0 तथा रा0 विभाग	14.12.21
*39	अ0सू0–15	श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह	मेधा सूची प्रकाशित करना	क0प्र0सु0 तथा रा0 विभाग	14.12.21
उ० प्र० 40	अ0सू0–09	श्री प्रदीप यादव	किसानों को लाभ देना	कृषि0 पशु0 एवं सह0 विभाग	14.12.21
उ० प्र० 41	अ0सू0–06	डॉ लम्बोदर महतो	निगरानी या C.B.I से जाँच करना	का0 प्र0 सु0 तथा रा0 विभाग	14.12.21
उ० प्र० 42	अ0सू0–26	श्री रणधीर कुमार सिंह	अनुकम्पा के आधार पर नौकरी	गृ0 का0 एवं आ0 प्र0 विभाग	14.12.21

01	02	03	04	05	06
43	अ0सू0–24	श्री बंधु तिर्की	पद सोपनों का निर्माण करना	गृ0 का0 एवं आ0 प्र0 विभाग	14.12.21
44	अ0सू0–20	श्री लोबिन हेम्ब्रम	नियुक्ति करना	का0 प्र0 सु0 तथा रा0 विभाग	14.12.21
45	अ0सू0–12	श्री विनोद कुमार सिंह	नियमावली संशोधन में परिवर्तन	का0 प्र0 सु0 तथा रा0 विभाग	14.12.21
46	अ0सू0–19	श्री अमित कुमार यादव	आरक्षण पुनः लागू करना	का0 प्र0 सु0 तथा रा0 विभाग	14.12.21
47	अ0सू0–04	डॉ इरफान अन्सारी	किसानों को क्षतिपूर्ति देना	कृषि0 पशु0 एवं सह0 विभाग	14.12.21
48	अ0सू0–13	श्री प्रदीप यादव	भारत सरकार से सम्पर्क करना	गृ0 का0 एवं आ0 प्र0 विभाग	14.12.21
49	अ0सू0–27	श्री रणधीर कुमार सिंह	न्यूनतम मजदूरी देना	कृषि0 पशु0 एवं सह0 विभाग	14.12.21
50	अ0सू0–21	श्री भानु प्रताप शाही	केस में कार्रवाई करना	गृ0 का0 एवं आ0 प्र0 विभाग	14.12.21
51	अ0सू0–07	श्री अमित कुमार मंडल	नियमावली में सम्मिलित करना	का0 प्र0 सु0 तथा रा0 विभाग	14.12.21
52	अ0सू0–18	श्री सरयू राय	दोषियों पर कार्रवाई करना	वाणि0 कर विभाग	14.12.21
53	अ0सू0–25	श्री अमर कुमार बाउरी	दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई	गृ0 का0 एवं आ0 प्र0 विभाग	14.12.21
54	अ0सू0–29	श्री संजीव सरदार	प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन	का0 प्र0 सु0 तथा रा0 विभाग	14.12.21
☆ – 55	अ0सू0–28	डॉ0 नीरा यादव	नियुक्ति करना	का0 प्र0 सु0 तथा रा0 विभाग	14.12.21
56	अ0सू0–11	श्री विनोद कुमार सिंह	समयावधि विस्तार पर रोक	गृ0 का0 एवं आ0 प्र0 विभाग	14.12.21
57	अ0सू0–02	श्री कमलेश कुमार सिंह	दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई	गृ0 का0 एवं आ0 प्र0 विभाग	14.12.21
58	अ0सू0–17	श्री बंधु तिर्की	S.T.F भत्ता देना	गृ0 का0 एवं आ0 प्र0 विभाग	14.12.21
59	अ0सू0–05	डॉ0 लम्बोदर महतो	जाति प्रमाण पत्र निर्गत करना	का0 प्र0 सु0 तथा रा0 विभाग	14.12.21
60	अ0सू0–01	श्री कमलेश कुमार सिंह	अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति	गृ0 का0 एवं आ0 प्र0 विभाग	14.12.21

☆ – कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक-8562, कृ0पू030/- दिनांक-17-12-2021 के द्वारा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में स्थानान्तरित।

01	02	03	04	05	06
▽-	अ0सू0–16	श्री मनीष जायसवाल	योजनाओं को चालू करना	यो0 एवं वि0 विभाग	14.12.21
	अ0सू0–14	श्री विरंची नारायण	वैट की दर को कम करना	वाणि0 कर विभाग	14.12.21
	अ0सू0–08	श्री अमित कुमार मंडल	परीक्षा आयोजित करना	का0 प्र0 सु0 तथा रा0 विभाग	14.12.21

*नोटः– कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक–8528, दिनांक–15.12.2021 के द्वारा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में स्थानान्तरित।

राँची
दिनांकः–20 दिसम्बर, 2021 ई0

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या–ज्ञा0वि0स0–प्रश्न–01/2021–2518/वि0स0, राँची, दिनांकः– 17/12/2021

प्रतिः– झारखण्ड विधान–सभा के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री/ माननीय मंत्रिगण/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री / मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
17/12/2021
(नीलेश रंजन)
अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या–ज्ञा0वि0स0–प्रश्न–01/2021–2518/वि0स0, राँची, दिनांकः– 17/12/21

प्रतिः– माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/ निजी सहायक (सचिवीय कार्यालय) को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
17/12/2021
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या–ज्ञा0वि0स0–प्रश्न–01/2021–2518/वि0स0, राँची, दिनांकः– 17/12/21

प्रतिः– कार्यवाही शाखा/ आश्वासन समिति शाखा, वेबसाईट शाखा एवं प्रश्न शाखा के संयुक्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
17/12/2021
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

17.12.2021

▽- योजना एवं वित्त

35

श्री समीर कुमार मोहंती, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक-20.12.2021 को पूछा जाने वाला अल्प-सूचित प्रश्न सं०-अ०सू०-03 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्त्ता-श्री समीर कुमार मोहंती, मा० स०वि०स०		उत्तरदाता-मा० मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में बहुतायत में गरमा धान की खेती की जाती है;	अस्वीकारात्मक। राज्य में गरमा धान की खेती बहुतायत मात्रा में नहीं की जाती है। राज्य में खरीफ में धान की खेती लगभग 17.5 लाख हेक्टेयर में होती है एवं उत्पादन लगभग 51 लाख टन प्राप्त होता है, जबकि गरमा धान की खेती लगभग 15000 हेक्टेयर में की जाती है, जो खरीफ का लगभग 0.9% है एवं उत्पादन लगभग 37500 टन है। गरमा धान की खेती मुख्यतः पूर्वी सिंहभूम एवं आंशिक रूप से सरायकेला-खरसावां, राँची, प० सिंहभूम, खूँटी, गुमला, रामगढ़, साहेबगंज, पाकुड़ एवं दुमका जिले में की जाती है।
2	क्या यह बात सही है कि समर्थन मूल्यों पर गरमा धान नहीं खरीदे जाने के कारण किसानों को बाजार में औन-पौने दाम पर धान बेचना पड़ता है;	भारत सरकार के वेबसाईट पर खरीफ मौसम 2021-22 के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) संबंधी सूचना में गरमा धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) निर्धारित नहीं है। (छायाप्रति संलग्न)
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार समर्थन मूल्यों पर गरमा धान खरीदने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	-

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक-03/कृ०वि०स०(अ०सू०)-47/2021 2283 /कृ०, राँची, दिनांक- 19/12/2021

प्रतिलिपिः- श्री नीलेश, अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0-2435 दिनांक-14.12.2021 के प्रसंग में (200 प्रतियों के साथ) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/12/2021

(चाँद हेम्बरम)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-03/कृ०वि०स०(अ०सू०)-47/2021 2283 /कृ०, राँची, दिनांक- 19/12/2021

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अवर सचिव, प्रभागीय प्रशाखा-9 (विधायी शाखा), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/12/2021

सरकार के अवर सचिव।

I/G Drive/Vidhan Sabha/Question Answer/Bikas/T

Government of India
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare
Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare
Directorate of Economics and Statistics

Minimum Support Prices (MSP) for Kharif Crops for Marketing Season 2021-22

Government has approved the increase in Minimum Support Prices (MSPs) for mandated Kharif Crops (Fair Average Quality) for Marketing Season 2021-22. The decision of the Government to increase Kharif crops MSP fulfills the commitment to the farmers to provide at least 50 per cent return over cost of production.The details of MSPs for mandated Kharif Crops for Marketing Season 2021-22 are given below:

(₹per quintal)

Commodity	Variety	Minimum Support Price
Paddy	Common	1940
	Grade 'A'	1960
Jowar	Hybrid	2738
	Maldandi	2758
Bajra		2250
Ragi		3377
Maize		1870
Tur (Arhar)		6300
Moong		7275
Urad		6300
Groundnut		5550
Sunflower seed		6015
Soyabean	Yellow	3950
Sesamum		7307
Nigerseed		6930
Cotton	Medium Staple (Staple length (mm) of 24.5 - 25.5 and Micronaire value of 4.3 - 5.1)	5726
	Long Staple (Staple length (mm) of 29.5 - 30.5 and Micronaire value of 3.5 – 4.3)	6025

(Shweta Kumar)
Addl. Economic Adviser (FE)
Tel. No. 23383798
11.06.2021

Minimum Support Prices

(According to crop year) (Rs. per quintal) (As on 09.06.2021)

Sl. No.	Commodity	Variety	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	(#) increase in MSP 2021-22 over 2020-21
	KHARIF CROPS							
1	PADDY	Common	1550	1750	1815	1868	1940	72(3.9)
		Grade 'A'	1590	1770	1835	1888	1960	72(3.8)
2	JOWAR	Hybrid	1700	2430	2550	2620	2738	118(4.5)
		Maldandi	1725	2450	2570	2640	2758	118(4.5)
3	BAJRA		1425	1950	2000	2150	2250	100(4.7)
4	RAGI		1900	2897	3150	3295	3377	82(2.5)
5	MAIZE		1425	1700	1760	1850	1870	20(1.1)
6	ARHAR(Tur)		5450^	5675	5800	6000	6300	300(5.0)
7	MOONG		5575^	6975	7050	7196	7275	79(1.1)
8	URAD		5400^	5600	5700	6000	6300	300(5.0)
9	GROUNDNUT		4450^	4890	5090	5275	5550	275(5.2)
10	SUNFLOWER SEED		4100*	5388	5650	5885	6015	130(2.2)
11	SOYABEEN (yellow)		3050^	3399	3710	3880	3950	70(1.8)
12	SESAMUM		5300*	6249	6485	6855	7307	452(6.6)
13	NIGERSEED		4050*	5877	5940	6695	6930	235(3.5)
14	COTTON	Medium Staple	4020	5150	5255	5515	5726	211(3.8)
		Long Staple	4320	5450	5550	5825	6025	200(3.4)
	RABI CROPS							
15	WHEAT		1735	1840	1925	1975		
16	BARLEY		1410	1440	1525	1600		
17	GRAM		4400@	4620	4875	5100		
18	MASUR (LENTIL)		4250*	4475	4800	5100		
19	RAPESEED & MUSTARD		4000*	4200	4425	4650		
20	SAFFLOWER		4100*	4945	5215	5327		
21	TORIA		3900	4190	4425	4650		
	OTHER CROPS							
22	COPRA (Calender Year)	Milling	6500	7511	9521	9960	10335	375(3.8)
		Ball	6785	7750	9920	10300	10600	300(2.9)
23	DE-HUSKED COCONUT (Calender Year)		1760	2030	2571	2700	2800	100(3.7)
24	JUTE		3500	3700	3950	4225	4500	275(6.5)
25	Sugarcane$		255	275	275	285		

\# Figures in brackets indicate percentage increase

* Including Bonus of Rs. 100 per quintal

^ Including Bonus of Rs. 200 per quintal

@ Including Bonus of Rs. 150 per quintal

$ Fair & Remunerative Price

माननीय स०वि०स० श्री भानु प्रताप शाही द्वारा दिनांक 20.12.2021 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–22 से संबंधित उत्तर सामग्री

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि सरकार के द्वारा राज्य के पारा शिक्षक, सहिया, सेविका सहित सभी अनुबंध कर्मी को स्थायी करने के लिए घोषणा की गई थी,	अस्वीकारात्मक। कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गयी है।
2.	क्या यह बात सही है, कि राज्य में पारा शिक्षक, सहिया, सेविका सहित सभी अनुबंधकर्मी को स्थायीकरण को लेकर एक हाई लेबल कमिटी बनाई गई थी, जिसका रिपोर्ट तीन महीने के अंदर देना था,	अस्वीकारात्मक। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या–4011 दिनांक–18.08.2020 के द्वारा राज्य अन्तर्गत विभिन्न विभागों में अनुबंध/संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मियों द्वारा उनकी सेवाशर्तों में सुधार तथा नियमितीकरण के संबंध में उठायी जा रही माँग की समीक्षा कर अपना अभिमत देने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है। उक्त के आलोक में अभिमत/प्रतिवेदन देने के निमित्त उच्चस्तरीय समिति की कार्रवाई सम्प्रति प्रक्रियाधीन है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सभी अनुबंधकर्मी के स्थायीकरण का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट की गयी है।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–15/झा०वि०स०–15–41/2021 का.–8545/राँची, दिनांक–16/12/2021

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप संख्या–2446 दिनांक–14.12.2021 के प्रसंग में 250 प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.12.2021
(ब्रज माधव)
सरकार के अवर सचिव।

(37)

श्री राजेश कच्छप, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–20.12.2021 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं०–अ०सू०–23 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत EWS आरक्षण दिया जा रहा है,	स्वीकारात्मक
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित EWS के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा स्पष्ट नीति का निर्धारण नहीं होने से राज्य के मूलनिवासियों को व्यापक क्षति हो रहा है तथा राज्य के बाहर के लोग इस का फायदा उठा रहे है,	अस्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 एवं 2 में वर्णित विषय पर राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर मूलवासी सवर्णों के हित में स्पष्ट नीति निर्धारण करने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों?	झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा राज्य स्तरीय पदों पर सीधी नियुक्ति में आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। साथ ही संकल्प सं०–1433, दिनांक–15.02.2019 द्वारा झारखण्ड के सिविल सेवाओं एवं पदों पर सीधी नियुक्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण के संबंध में दिशा निदेश निर्गत है। संकल्प सं०–3763, दिनांक–16.05.2019 के द्वारा सरकार का निर्णय संसूचित है कि विभागीय संकल्प सं०–3198, दिनांक–18.04.2016 में निर्धारित झारखण्ड के स्थानीय निवासी की परिभाषा एवं पहचान से संबंधित मानदण्डों/शर्तों को अंगीकृत कर आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अगले आदेश तक के लिए निर्गत किया जाएगा।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14/ज्ञा०वि०स०–07–79/2021 का०–8605/रांची, दिनांक 18/12/2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं०–2442, दिनांक–14.12.2021 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/12/21
(संजय कुमार रजक)
सरकार के अवर सचिव।

(38)

श्री बिरंची नारायण, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–20.12.2021 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–10 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड के 24 जिलों के 43 नियोजनालयों में विगत 23 माह में वर्ष 2019 के मुकाबले 638 प्रतिशत से अधिक बेरोजगारों ने आवेदन किए हैं, और इस प्रकार 5.55 लाख लोगों को नियोजन की तलाश है, तथा इन नियोजनालयों में वर्ष 2019 में 75,170 लोगों ने नियोजन हेतु पंजीकरण कराया था, पर जनवरी, 2020 से जून, 2021 तक 5,55,030 लोगों ने नियोजनालयों में नौकरी हेतु पंजीकरण कराया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वर्ष 2019 में निबंधित आवेदकों की संख्या–85,122 जनवरी, 2020 से जून, 2021 तक निबंधित आवेदकों की संख्या–5,60,722
2.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड के 5 पड़ोसी राज्यों में सबसे अधिक बेरोजगारी झारखण्ड में ही है और झारखण्ड में बेरोजगारी दर देश में चौथे स्थान पर है और राज्य सरकार के कार्यालयों में 5,25,115 पद सृजित हैं, जिस पर 1,95,255 कर्मचारी कार्यरत हैं और 3,29,860 पद अब भी रिक्त हैं अर्थात 62.81 प्रतिशत पद खाली है, जिससे राज्य के युवाओं को रोजगार हेतु दूसरे राज्यों में पलायन हेतु मजबूर होना पड़ रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है झारखण्ड सरकार ने वर्ष 2021 को "नियुक्ति वर्ष" के रूप में घोषित किया है और नौकरी न दे सकने की स्थिति में बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने हेतु कृत–संकल्पित है, लेकिन अब तक निर्धारित बेरोजगारी भत्ता का भुगतान नहीं हो सका है;	बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने हेतु प्रस्ताव सरकार स्तर पर विचाराधीन है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बेरोजगारों के हित में इस वित्तीय वर्ष में उक्त रिक्त पड़े पदों पर नियुक्ति करवाते हुए इस स्थिति के लिए जिम्मेदार पदाधिकारियों पर कठोर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिए पूर्व से गठित परीक्षा संचालन नियमावलियें में विसंगतियों का निराकरण करते हुए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (मैट्रिक/10वीं स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इंटरमीडिएट/10+2 स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इंटरमीडिएट/ 10+2 स्तर कम्प्यूटर .

		ज्ञान एवं कम्प्यूटर में हिन्दी टंकण अर्हत्ता धारक पद हेतु) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021 एवं झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (डिप्लोमा/ तकनीकी एवं अन्य विशिष्ट योग्यता स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021 का गठन किया गया है। उपर्युक्त नई परीक्षा संचालन नियमावलियों के अनुरूप सभी विभागों में पूर्व से गठित नियुक्ति/सेवाशर्त नियमावलियों में संशोधन की कार्रवाई एवं विभिन्न विभागों से रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु प्राप्त अधियाचना झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को भेजे जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–11/वि0स0–06–30/2021 का0 8618 /राँची दिनांक– 18 दिसम्बर, 2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 2449 दिनांक 14.12.2021 के प्रसंग में 250 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री चन्द्रभूषण प्रसाद, नोडल पदाधिकारी–सह–उप सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/2021
(दिलीप कुमार साह)
सरकार के अवर सचिव।

40

श्री प्रदीप यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक-20.12.2021 को पूछा जाने वाला अल्प-सूचित प्रश्न सं0-अ0सू0-09 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्त्ता- श्री प्रदीप यादव, माननीय स0वि0स0		उत्तरदाता-माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार द्वारा किसानों को राहत देने के लिए ऋण माफी योजना 2020-21 में प्रारम्भ की गयी है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि इस योजना के तहत 9 (नौ) लाख किसानों को लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि प्रशासनिक लापरवाही के कारण एवं जिन किसानों ने ऑफलाइन (Offline) आवेदन दिया है, आधे किसान अबतक इस लाभ से वंचित हैं;	अस्वीकारात्मक। किसानों द्वारा कुल 48262 ऑफलाइन आवेदन किया गया है, जिसके विरुद्ध अबतक 39666 किसानों को झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजना का लाभ दिया जा चुका है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार त्वरित कार्रवाई कर वंचित किसानों को लाभ देना चाहती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजना अन्तर्गत ऑफलाइन आवेदन करने वाले सभी पात्रताधारी किसानों को लाभ देने की प्रक्रिया जारी है।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक-03/कृ0वि0स0(अ0सू0)-46/2021 2278 /कृ0, राँची, दिनांक-18/12/2021

प्रतिलिपिः- श्री नीलेश, अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0-2436 दिनांक-14.12.2021 के प्रसंग में (200 प्रतियों के साथ) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/2021
(चाँद हेम्ब्रम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-03/कृ0वि0स0(अ0सू0)-46/2021 2278 /कृ0, राँची, दिनांक-18/12/2021

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अवर सचिव, प्रभागीय प्रशाखा-9 (विधायी शाखा), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेवसाईट, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/2021
सरकार के अवर सचिव।

D/G Drive/Vidhan Sabha/Question Answer/Ekta/T

डॉ0 लम्बोदर महतो, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–20.12.2021 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–06 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि J.P.S.C ने 7th to 10th J.P.S.C परीक्षा/P.T का आयोजन अभी हाल में ही किया है तथा एक ऐसे Out Sourcing Company से परीक्षा का संचालन कराया है, जिसे बिहार सरकार ने Black List किया है तथा जिसके विरूद्ध F.I.R भी दर्ज किया है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुतः परीक्षा का संचालन जिलों के उपायुक्तों द्वारा कराया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त कम्पनी ने J.P.S.C/P.T में प्रश्नों के Model Answer/चयन/परीक्षा केन्द्रो में लगातार एक ही कमरे से कई दर्जनों परीक्षार्थियों ने सफला हासिल कराने/अनियमितता बरतने का काम किया है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुतः प्रश्नों के मॉडल उत्तर का चयन आयोग द्वारा चयनित विषय–विशेषज्ञ से कराया गया है।
3.	क्या यह बात सही है कि परीक्षा नियमावली एवं विज्ञापन की शर्तों का उल्लंघन कर J.P.S.C ने P.T परीक्षा का परिणाम प्रकाशित किया है, जो नियम विरूद्ध है;	झारखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्रांक 3073 दिनांक 16.12.2021 के द्वारा प्राप्त उत्तर प्रतिवेदन में उल्लेखित किया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम विज्ञापन के शर्तों एवं नियमावली के प्रावधानों के आलोक में प्रकाशित किया गया है। उल्लेखनीय है कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, राँची के पत्रांक 8193 दिनांक 01.12.2021 के द्वारा संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2021 के प्रारंभिक परीक्षाफल का प्रकाशन के परिप्रेक्ष्य में The Jharkhand Combined Civil Service Examination Rules, 2021 के नियम 17 एवं 18 तथा The Jharkhand Combined Civil Service Examination (1st Amendment) Rules, 2021 के नियम 2 एवं 3 के आलोक में समीक्षोपरांत तथ्यात्मक प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपर्युक्त बिन्दुओं की निगरानी या C.B.I जाँच कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में वस्तुस्थिति स्पष्ट की गई है।

क0पृ0उ0

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–11/वि0स0–06–33/2021 का0 9575 /राँची दिनांक– 17 दिसम्बर, 2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 2452 दिनांक 14.12.2021 के प्रसंग में 250 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री चन्द्रभूषण प्रसाद, नोडल पदाधिकारी–सह–उप सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/12/2021

(दिलीप कुमार साह)
सरकार के अवर सचिव।

श्री रणधीर कुमार सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–20.12.2021 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या –अ०सू०–26 का उत्तर प्रतिवेदन। (42)

क्र०	प्रश्न	उत्तर
01	क्या यह बात सही है कि सारठ विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम–बाभनगामा निवासी स्व० गणेशचन्द्र पाण्डेय आर्मी नं०–1582209P में कार्यरत थे।	स्वीकारात्मक । शहीद का आर्मी न० –15482209P था।
02	क्या यह बात सही है कि स्व० गणेशचन्द्र पाण्डेय देश की सेवा के दौरान दिनांक–27.10.2001 को आतंकवादी मुठभेड़ के दौरान जम्मू–कश्मीर में शहीद हो गये।	स्वीकारात्मक स्व० गणेश चन्द्र पाण्डेय दिनांक–27.10.2004 को शहीद हुए थे।
03	क्या यह बात सही है, कि शहीद के पुत्र श्री लक्ष्मण कुमार पाण्डेय को अनुकम्पा के आधार पर नौकरी हेतु उपायुक्त, देवघर द्वारा पत्रांक–1396, दिनांक–25.08.2011 को अनुशंसा पत्र विभाग को भेजा है, परन्तु अबतक नौकरी देने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं ली गई है।	जम्मू कश्मीर के ग्राम–नामथियल, जिला– बडगॉव, श्रीनगर में दिनांक–27.10.2004 को आतंकवादी मुठभेड़ में शहीद राज्य निवासी सेना के जवान स्व० गणेश चन्द्र पाण्डेय, आर्मी न०– 15482209P, 53 राष्ट्रीय राईफलस (पंजाब) के आश्रित दावेदार पुत्र श्री लक्ष्मण कुमार पाण्डेय को अनुकम्पा के आधार पर तृतीय वर्ग के पद पर नियुक्ति हेतु उपायुक्त देवघर से प्राप्त प्रस्ताव निर्णय के प्रक्रियाधीन है।
04	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त शहीद के पत्र को अनुकम्पा आधारित नौकरी अतिशीघ्र देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–03 में स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–18/वि०स० (02) 10/2021......4870....../राँची, दिनांक–...18./12../2021

प्रतिलिपि:– 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०–2476/वि०स०, दिनांक–15.12.2021 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/2021
(सतीश कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

(43)

श्री बंधु तिर्की, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–20.12.2021 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–24 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि Probation of offenders Rules, 1959 के तहत् प्रत्येक जिले में एक प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी के पद का प्रावधान है, जबकि झारखण्ड के कुल 24 जिलों के लिए प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी के केवल 8 पद ही सृजित है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड प्रोबेशन सेवा में प्रोन्नति का मात्र एक ही पद सोपान है ;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड प्रोबेशन सेवा में कैडर हेतु पद सृजन एवं पद सोपान की संचिका लम्बे समय से गृह विभाग में विचाराधीन है ;	विभागीय संलेख ज्ञापांक–3340, दिनांक–01.06.2015 द्वारा प्रोबेशन सेवा के 23 पदों के पद सृजन का प्रस्ताव प्रशासी पदवर्ग समिति को उपस्थापित किया गया था, जिसमें केवल 01 प्रोबेशन पदाधिकारी के पद सृजन का प्रस्ताव अनुमोदित हुआ है। महासचिव झारखण्ड राज्य प्रोबेशन सेवा संघ के द्वारा बिहार सरकार में स्वीकृत पदों के अनुरूप पद सृजन का प्रस्ताव समर्पित किया गया है, जिसकी समीक्षा कर औचित्यपूर्ण प्रस्ताव उपलब्ध कराने का अनुरोध कारा महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची से किया गया है। कारा महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची से प्रस्ताव/अनुशंसा प्राप्त होने पर नियमानुसार अग्रत्तर कार्रवाई की जायेगी।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार झारखण्ड प्रोबेशन सेवा कैडर में पद सृजन एवं प्रोन्नति के पद सोपानों का निर्माण करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका–03 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–11/वि०स०–23/2021–4891/ राँची, दिनांक–18/12/2021ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–2441, दिनांक–14.12.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

(44)

श्री लोबिन हेम्ब्रम, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–20.12.2021 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–20 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि विज्ञापन सं0 08/2018 झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक अभियन्ता (असैनिक) एवं सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) नगर विकास एवं आवास विभाग में नियुक्त हेतु प्रकाशित किया गया था,	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त विज्ञापन के विरूद्ध वर्ष 2021 के अप्रैल माह में परीक्षा का आयोजन किया गया था लेकिन परीक्षाफल अबतक प्रकाशित नहीं होने से अभ्यर्थियों में घोर निराशा है,	विज्ञापन संख्या 08/2018 के आलोक में नगर विकास एवं आवास विभागान्तर्गत सहायक अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) के पद पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्त्ती लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन दिनांक 09.04.2021 से दिनांक 11.04.2021 तक आयोग द्वारा किया गया था। शेष कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्यहित में उक्त विज्ञापन का परीक्षाफल शीघ्र प्रकाशित कर नियुक्ति कराना चाहती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	उक्त परीक्षा के सम्पन्न होने के उपरान्त सामान्य योग्यता परीक्षा (सामान्य अंग्रेजी/सामान्य अध्ययन) एवं प्रश्न पत्र 1 एवं प्रश्न पत्र 2 (असैनिक/यांत्रिक विषय) के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र का मॉडल उत्तर आयोग के प्रेस विज्ञप्ति ज्ञापांक 1068 दिनांक 25.05.2021 द्वारा आयोग के वेबसाईट पर प्रकाशित कर दिनांक 05.06.2021 तक अभ्यर्थियों से आपत्ति/सुझाव की माँग की गई थी। Covid-19 महामारी के द्वितीय लहर के कारण निर्धारित तिथि तक अभ्यर्थियों से प्राप्त सुझावों/आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञों के समीक्षोपरान्त संशोधित मॉडल उत्तर आयोग के प्रेस विज्ञप्ति ज्ञापांक 2109 दिनांक 23.09.2021 द्वारा आयोग के वेबसाईट पर प्रकाशित कर दी गई है। अभ्यर्थियों के उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–11/वि0स0–06–03/2020 का0 8597 /राँची दिनांक– 17 दिसम्बर, 2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 2450 दिनांक 14.12.2021 के प्रसंग में 250 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री चन्द्रभूषण प्रसाद, मॉडल पदाधिकारी–सह–उप सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/12/2021

(दिलीप कुमार साह)
सरकार के अवर सचिव।

श्री विनोद कुमार सिंह, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–20.12.2021 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–12 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि जे0एस0एस0सी0 परीक्षा (संशोधन) नियमावली 2021 के तहत् गैर आरक्षित श्रेणी के झारखण्ड के मूलवासी–खतियानी छात्र यदि राज्य से बाहर मैट्रिक/इंटर पास किये है तो आवेदन नहीं दे सकते है;	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जानेवाली परीक्षाओं के लिए निम्न परीक्षा संचालन (संशोधन) निमयावलियों का गठन किया गया है :– i. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (मैट्रिक स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021 ii. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इन्टरमीडिएट/10+2) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021 iii. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इन्टरमीडिएट/10+2 स्तर कम्प्यूटर ज्ञान एवं कम्प्यूटर में हिन्दी टंकण अहर्त्ता धारक पद हेतु) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021 iv. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (डिप्लोमा/तकनीकी एवं अन्य विशिष्ट योग्यता स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021 v. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021 vi. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर/तकनीकी एवं विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021 उपर्युक्त गठित संशोधित नियमावलियों के अनुसार झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली मैट्रिक/10वीं एवं डिप्लोमा/तकनीकी एवं अन्य विशिष्ट योग्यता स्तर की प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मैट्रिक/10वीं कक्षा, इंटरमीडिएट/10+2 स्तर की परीक्षाओं के लिए मैट्रिक/10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा तथा स्नातक स्तर/स्नातक स्तर तकनीकी एवं विशिष्ट योग्यता स्तर की परीक्षाओं के लिए मैट्रिक/10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट/ 10+2 कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही अभ्यर्थी को स्थानीय रीति–रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा।
2.	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14 व 16 का उल्लंघन करता है, जिस कारण न्यायालय में सामान्य नियुक्त भी प्रभावित होगी;	उपर्युक्त वर्णित संशोधित नियमावलियों के गठन के क्रम में प्रस्ताव एवं अधिसूचना प्रारूप पर वित्त विभाग की सहमति, विधि विभाग का परामर्श एवं विद्वान महाधिवक्ता का विधिक मंतव्य प्राप्त किया गया है। तदोपरांत प्रस्ताव एवं अधिसूचना प्रारूप पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त कर अधिसूचना निर्गत की गई है।

क्र0पृ0उ0

3.	यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गैर आरक्षित श्रेणी के राज्य के खतियानी/मूलवासियों के हित में उपरोक्त संशोधन में परिवर्तन करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त गठित परीक्षा संचालन (संशोधन) नियमावलियों में संशोधन का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–11/वि0स0–06–34/2021 का0 8554 /राँची दिनांक– 17 दिसम्बर, 2021

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 2453 दिनांक 14.12.2021 के प्रसंग में 250 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री चन्द्रभूषण प्रसाद, नोडल पदाधिकारी–सह–उप सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/12/2021

(दिलीप कुमार साह)
सरकार के अवर सचिव।

46

श्री अमित कुमार यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–20.12.2021 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–19 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के पिछड़ी जाति वर्ग के अभ्यार्थियों को नौकरी एवं नामांकन में 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता था, जिसे घटाकर 14 प्रतिशत कर दिया गया है.	स्वीकारात्मक। झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 द्वारा पिछड़े वर्गों को (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग तथा पिछड़ा वर्ग को मिलाकर) 27% आरक्षण प्रदान किया गया था। कालांतर में संकल्प सं0–5776, दिनांक–10.10.2002 के माध्यम से WP(PIL) 3696/2002 तथा WP(PIL) 4706/2001 में दिनांक–22.08.2002 तथा दिनांक– 30.09.2002 को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में आरक्षण की सीमा 50% करने के क्रम में पिछड़ी जाति वर्ग की आरक्षण की सीमा 14% तक सीमित की गयी।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड–1 का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में पूर्व में मिलनेवाली 27 प्रतिशत आरक्षण को पुनः लागू करना चाहती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों?	राज्य में प्रभावी आरक्षण प्रतिशत पर विचार हेतु समिति के गठन का मामला उच्च स्तर पर विचाराधीन है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14 / ज्ञा0वि0स0–07–82 / 2021 का0– 8602 / रांची, दिनांक 18/12/2021

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं0–2454, दिनांक–14.12.2021 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/12/21

(संजय कुमार रजक)
सरकार के अवर सचिव।

(47)

डॉ० इरफान अंसारी, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक-20.12.2021 को पूछा जाने वाला अल्प-सूचित प्रश्न सं०-अ०सू०-04 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्त्ता- डॉ० इरफान अंसारी, माननीय स०वि०स०		उत्तरदाता-माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2020-2021 में विभाग द्वारा कृषकों को कृषि हेतु बीज की आपूर्ति किया गया था;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा आपूर्ति किये गये बीज गुणवत्तापूर्ण नहीं रहने के कारण इसका प्रभाव फसल उत्पादन पर पड़ा था और किसानों को आर्थिक क्षति हुई थी;	अस्वीकारात्मक। विभागीय योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 में आपूरित किये गये बीज की गुणवत्ता खराब होने के संबंध में कोई सूचना प्रतिवेदित नहीं है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वैसे किसानों को चिन्हित कर उन्हें क्षतिपूर्ति देने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	कंडिका-2 में स्थिति स्पष्ट की गयी है।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक-03/कृ०वि०स०(अ०सू०)-45/2021 2247 /कृ०, राँची, दिनांक- 18/12/2021

प्रतिलिपि:- श्री नीलेश, अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०-2434 दिनांक-14.12.2021 के प्रसंग में (200 प्रतियों के साथ) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/2021
(चाँद हेम्ब्रम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-03/कृ०वि०स०(अ०सू०)-45/2021 2247 /कृ०, राँची, दिनांक- 18/12/2021

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अवर सचिव, प्रभारीय प्रशाखा-9 (विधायी शाखा), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/2021
सरकार के अवर सचिव।

(48)

श्री प्रदीप यादव, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–20.12.2021 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या –अ०सू०– 13 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्रं०	प्रश्न	उत्तर
01	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2014 से अबतक झारखण्ड के 50 नौजवान देश की सुरक्षा में शहीद हुए है।	आंशिक स्वीकारात्मक वर्ष 2014 से अबतक झारखण्ड राज्य के लगभग 41 मिलिट्री/पारा मिलिट्री के जवानों के देश की सुरक्षा में शहीद होने की सूचना है।
02	क्या यह बात सही है कि भारत सरकार और झारखण्ड सरकार से मिलने वाली सुविधा एवं घोषित सुविधाएँ अबतक उनके आश्रितों को प्राप्त नहीं हुआ है जिस कारण आश्रितों को दर–दर भटकना पड़ रहा है।	अस्वीकारात्मक 1. झारखण्ड सरकार द्वारा कर्त्तव्य निर्वहनरत देश की सुरक्षा में शहीद राज्य के जवानों (मिलिट्री/पारा मिलिट्री) के आश्रित पत्नी/परिवार को विशेष अनुग्रह अनुदान के रूप में झारखण्ड गठन की तिथि से रू० 2 लाख और वर्ष 2018 से 10 लाख रुपये तथा अनुकम्पा के आधार पर सरकारी सेवा में नियुक्ति का प्रावधान है। उक्त प्रावधानों के तहत उपायुक्त से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में अनुमान्य लाभ की स्वीकृति विभाग के स्तर से प्रदान की जाती है। 2. झारखण्ड राज्य के शौर्य पुरस्कार से अलंकृत शहीद सैनिकों के आश्रित परिवार को शौर्य पुरस्कार की श्रेणी के अनुरूप एकमुश्त नगद राशि का भुगतान करने का प्रावधान संकल्प संख्या–6210, दिनांक–26.11.2015 द्वारा किया गया है। वर्तमान में दो मामले निर्णय के प्रक्रियाधीन है। 3. वीरगति प्राप्त मिलिट्री/पारा मिलिट्री के जवानों के आश्रित परिवार को मिलने वाली सुविधाएँ उनके पैतृक संगठन (भारत सरकार) द्वारा प्रदान की जाती है। शहीद के आश्रित को एतदसंबंधी प्रावधान के तहत अनुमान्य लाभ की स्वीकृति उनके पैतृक संगठन से नहीं किये जाने की सूचना सरकार के संज्ञान में नहीं है।

03	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या राज्य सरकार, राज्य की देय सुविधाएँ अविलम्ब देकर भारत सरकार से मिलने वाली सुविधाओं के लिए भारत सरकार से संम्पर्क करने का विचार रखती है, हॉ तो कबतक नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका–02 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–18/वि०स० (02) 08/2021 4901 /राँची, दिनांक– 19/12/2021

प्रतिलिपिः– 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके पत्रांक–2440/वि०स०, दिनांक–14.12.2021 आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/12/2021
(सतीश कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

(49)

श्री रणधीर सिंह, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक-20.12.2021 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या-अ0सू0-27 का प्रश्नोत्तर-

प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता
श्री रणधीर सिंह, माननीय सदस्य विधान सभा, झारखण्ड, राँची	श्री बादल पत्रलेख, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि राज्य में लेम्पस/पैक्स में नियमित रूप से कार्यरत कर्मियों को निर्धारित दर पर न्यूनतम मजदूरी नहीं दिया जा रहा है ;	आंशिक स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है, कि खण्ड-(1) में वर्णित न्यूनतम मजदूरी के संबंध में उच्च न्यायालय, राँची द्वारा दिशा-निर्देश दिया गया है ;	स्वीकारात्मक। संदर्भित मामले में दायर याचिका सं0-1063/2019 (भुवनेश गोस्वामी एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य) में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश में याचिका को इस निदेश के साथ निष्पादित किया गया है कि वादीगण को अपना अभ्यावेदन विभागीय सचिव के समक्ष प्रस्तुत करना है, जिस पर विभागीय सचिव द्वारा निर्णय लेकर वादीगणों को संसूचित करना है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त दिशा-निर्देश के आलोक में खण्ड-(1) में वर्णित कर्मियों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उक्त न्यायादेश के आलोक में विभागीय सचिव के ज्ञापांक-29 दिनांक-08.01.2021 द्वारा तार्किक आदेश पारित किया जा चुका है, जिसमें वादीगणों को संबंधित सहकारी समितियों के समक्ष अपने दावों को प्रस्तुत करने एवं संबंधित सहकारी समितियाँ को दावा प्राप्त होने के एक माह के अन्दर दावों की जाँच करते हुए वैध दावों का अपने अर्जित लाभ/स्रोत से नियमानुसार निष्पादन/भुगतान करने का आदेश दिया गया है।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(सहकारिता प्रभाग)

ज्ञापांक-07/विधान सभा (अल्प सूचित)-37/2021 सह0 1379 राँची, दिनांक- 18.12.2021

प्रतिलिपिः-सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची/अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0प्र0-2477 वि0स0 दिनांक-15.12.2021 के क्रम में 200 चक्रलिखित प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अमरेन्द्र
18.12.2021
सरकार के अवर सचिव।

50.

श्री भानु प्रताप शाही, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–20.12.2021 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–21 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में गिरती कानून व्यवस्था के कारण वर्ष 2019 से 2021 तक लगभग 20 महीने में 2725 महिलाएं दुष्कर्म की शिकार एवं 41 डायन बिसाही के मामले में हत्या की भेंट चढ़ी है ;	दुष्कर्म एवं डायन हत्या से संबंधित मामले दिसम्बर, 2019 से अक्टूबर, 2021 तक (लगभग 23 माह) ********** 1. दुष्कर्म – कुल 3209 कांड प्रतिवेदित हुए है, जिसमें 2228 कांडों में कुल 2946 अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित किया गया है। कुल 228 कांडों में अनुसंधान के बाद अंतिम प्रतिवेदन समर्पित किया गया है तथा 753 कांड लंबित है। 2. डायन बिसाही (डायन हत्या) – कुल 58 कांड प्रतिवेदित हुए है, जिसमें 40 कांडों में कुल 137 अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित किया गया है। कुल 02 कांडो में अनुसंधान के बाद अंतिम प्रतिवेदन समर्पित किया गया है तथा 16 कांड लंबित है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गिरती कानून व्यवस्था में सुधार लाने तथा हत्या एवं दुष्कर्म के पीड़ित महिलाओं के केस में कार्रवाई करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट की गई है। सरकार कानून व्यवस्था में सुधार लाने तथा हत्या–दुष्कर्म के मामले रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार द्वारा नियमित रूप से जिलों के सभी पुलिस पदाधिकारियों को इस तरह के मामलों में निरोधात्मक कार्रवाई करने तथा कोई घटना होने पर संज्ञान लेते हुए दोषियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने का निदेश दिये गये हैं। साथ ही विशेष शाखा को भी सतर्क किया गया है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–11/वि०स०–24/2021–4899/ राँची, दिनांक– 19/12/2021 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–2444, दिनांक–14.12.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/12/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री अमित कुमार मंडल, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–20.12.2021 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–07 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है राज्य के गोड्डा, देवघर एवं साहेबगंज जिले में उर्दू भाषा–भाषी से अधिक संख्या अंगिका बोलने वाले लोगों की है;	जनगणना निदेशालय भारत सरकार से प्राप्त वर्ष 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत जिलों में उर्दू भाषा भाषियों की संख्या निम्नवत् है :– i. गोड्डा– 1,10,294 ii. देवघर – 1,00,177 iii. साहेबगंज– 72,846 जनगणना निदेशालय भारत सरकार से प्राप्त वर्ष 2011 की जनगणना रिपोर्ट में झारखण्ड राज्य में अंगिका भाषा–भाषियों का आँकड़ा सम्मिलित नहीं है।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य में अंगिका को द्वितीय राज्य भाषा का दर्जा प्राप्त है;	स्वीकारात्मक। बिहार राजभाषा (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2018 (झारखण्ड अधिनियम, 20, 2018) के माध्यम से अंगिका को अन्य द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है।
3.	क्या यह बात सही है कि J.S.S.C के नये नियमावली में राज्य के क्षेत्रीय भाषा में अंगिका भाषा को सम्मिलित नहीं किया गया है, जिससे खण्ड–एक में वर्णित जिलों के नौजवान अभ्यर्थी नौकरी हेतु तीन एवं चार वर्गों के राज्यस्तरीय परीक्षाओं में अंगिका भाषी युवाओं को अवसर नहीं मिल पायेगा;	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जानेवाली परीक्षाओं के लिए निम्न परीक्षा संचालन (संशोधन) नियमावलियों का गठन किया गया है :– i. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (मैट्रिक स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021 ii. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इन्टरमीडिएट/10+2) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021 iii. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इन्टरमीडिएट/10+2 स्तर कम्प्यूटर ज्ञान एवं कम्प्यूटर में हिन्दी टंकण अर्हता धारक पद हेतु) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021 iv. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021 v. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर/तकनीकी एवं विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021 उपर्युक्त गठित परीक्षा संचालन (संशोधन) नियमावालियों में राज्य स्तरीय पदों के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के पत्र–2 में चिन्हित 12 क्षेत्रीय/जनजातीय भाषाओं (यथा–उर्दू/संथाली/बंगला/मुण्डारी(मुण्डा)/हो/खड़िया/कुँड़ुख (उरांव)/कुरमाली/खोरठा/नागपुरी/पंचपरगनिया/उड़िया) भाषाओं में से किसी एक भाषा का चयन विकल्प के आधार पर करने का प्रावधान किया गया है।

4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के द्वितीय राज्य भाषा अंगिका को J.S.S.C के नये नियमावली में सम्मिलित कर अंगिका भाषी नौजवान अभ्यार्थी को अवसर देना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त गठित परीक्षा संचालन (संशोधन) नियमावलियों में चिहिन्त क्षेत्रीय/जनजातीय भाषाओं के अतिरिक्त अन्य कोई भाषा सम्मिलित करने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–11/वि0स0–06–31/2021 का0 8574 /राँची दिनांक– 17 दिसम्बर, 2021

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 2448 दिनांक 14.12.2021 के प्रसंग में 250 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री चन्द्रभूषण प्रसाद, नोडल पदाधिकारी–सह–उप सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/12/2021

(दिलीप कुमार साह)
सरकार के अवर सचिव।

52

श्री सरयू राय, माननीय स०वि०स० से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या–18 का उत्तरः–

	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पंजाब सरकार के बिक्री कर विभाग ने पत्रांक PA/Addl.CST-1/1241, 08.07.2021 के द्वारा राज्य के वाणिज्य–कर आयुक्त को सूचित किया गया है कि लुधियाना के कुडू फैब्रिक्स ने 6 बीजकों द्वारा रेलमार्ग से तथा 5 बीजकों से सड़क मार्ग से कुल रू0 3.56 करोड़ की टी–शर्ट की आपूर्ति पर कर का भुगतान किया है,	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि टी–शर्ट का उपयोग स्थापना दिवस समारोह पर उपयोग हेतु होना था जिसके लिए सरकार ने रू0 4.65 करोड़ का भुगतान किया था,	झारखण्ड शिक्षा परियोजना निदेशक, राँची के ज्ञापांक 2414 दिनांक 18.12.2021 द्वारा सूचित किया गया है कि वर्ष 2016 के राज्य स्थापना दिवस समारोह के क्रम में वितरण हेतु उपलब्ध कराए गए टी–शर्ट के लिए भुगतान से संबंधित सभी कार्रवाई जिला उपायुक्त, राँची के कार्यालय से की गई है।
3	क्या यह बात सही है कि सड़क मार्ग से धनबाद भेजे गए टी–शर्ट 11, 14, 15 नवम्बर, 2016 को लुधियाना से चला है तथा रेल मार्ग से भेजे गए टी–शर्ट 10, 13, 14, 15 नवम्बर, 2016 को लुधियाना स्टेशन पर प्राप्त हुआ है। फलस्वरूप टी–शर्ट सरकार को नहीं मिल कर बाजार में चली गई,	पंजाब सरकार के बिक्री कर विभाग ने पत्रांक PA/Addl.CST-1/1241, दिनांक 08.07.2021 के द्वारा सूचित किया है कि लुधियाना के कुडू फैब्रिक्स ने 6 बीजकों द्वारा रेलमार्ग से तथा 5 बीजकों द्वारा सड़क मार्ग से टी–शर्ट की आपूर्ति की है। इस संबंध में पंजाब सरकार से विस्तृत विवरण प्राप्त करने हेतु पुनः पत्राचार किया गया है। सूचना प्राप्त होने के उपरान्त सभा को स्पष्ट जानकारी उपलब्ध करा दी जायेगी।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ने इसकी जाँच कराकर और इसके लिए दोषियों को चिन्हित कर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों?	टी–शर्ट की खरीद की जांच के संबंध में कराधान आयुक्त, पंजाब के कार्यालय से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार सर्वश्री कुडु फैब्रिक्स, टिन–03711004631 का सत्यापन ऑनलाइन ई0टी0टी0एस0 पोर्टल द्वारा किया गया। टी–शर्ट की आपूर्ति में उपायुक्त, राँची को भेजे गए बीजकों से प्रपत्र 18 में अंतर्राज्जीय बिक्री दिखाई पड़ता है तथा भुगतेय Central Sales Tax (CST) का भुगतान कर दिया गया है। चूंकि उपायुक्त, राँची द्वारा सर्वश्री कुडु फैब्रिक्स से सीधे टी–शर्ट की खरीद End consumer के रूप में की गई है, अतः झारखण्ड वैट के अंतर्गत उक्त माल पर कर की देयता नही होगी।

झारखण्ड सरकार

वाणिज्य–कर विभाग

ज्ञापांकः–वा0– कर/वि0मं0/10/2021- 2814 /राँची, दिनांकः– 18.12.2021

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 2457 दिनांक 14.12.2021 के आलोक में उत्तर की 250 प्रतियाँ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रामचन्द्र प्रसाद बर्णवाल)
राज्य–कर संयुक्त आयुक्त।

Binit/F/Hindi Letter 2021/208

(53)

श्री अमर कुमार बाउरी, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–20.12.2021 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–25 का उत्तर प्रतिवेदनः–

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि राज्य में लगभग दो हजार लापता के केस विभिन्न थानों में दर्ज है, जो जांच एंव निष्पादन हेतु लंबित है?	राज्यान्तर्गत विभिन्न थानों में वर्ष 2017 से अक्टुबर 2021 तक कुल 2727 लापता हुए व्यक्ति के मामले की जाँच एवं निष्पादन फलस्वरूप 2355 व्यक्तियों को बरामद किया गया, शेष 372 लापता व्यक्तियों की खोजबीन प्रक्रियाधीन है।
2. क्या यह बात सही है कि रामगढ़ जिला के गोला थाना अंतर्गत साडम पंचायत की श्रीमती तेतरी देवी एवं उनके पुत्र श्री राम चरण रविदास 16 नवंबर,2021 से लापता है,	स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि बासुदेव रविदास के द्वारा अपनी पत्नी एवं पुत्र के लापता होने की लिखित सूचना गोला थाना को दी गई है, जिसमें पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी,	वासुदेव रविदास के पुत्र शिवचरण रविदास के द्वारा दिनांक 20.11.2021 को समय 19.15 बजे गोला थाना पर आकर अपना भाई रामचरण रविदास एवं माता तेतरी देवी के लापता होने से संबंधित लिखित सूचना दी गयी, जिसके संबंध में गोला थाना सनहा सं०–28/2021 दिनांक 20.11.2021 अंकित किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में सूचना प्राप्त होते ही अविलंब वितंु प्रभारी रामगढ़ जिला को गोला थाना का ज्ञापांक–2419/21, दिनांक 20.11.2021 के माध्यम से लापता व्यक्तियों में तेतरी देवी, उम्र लगभग 62 वर्ष, पति–वासुदेव रविदास एवं रामचरण रविदास, उम्र लगभग वर्ष, 35 यो०–साडम, पिता–वासुदेव रविदास, दोनों ग्राम–साडम, थाना– गोला, जिला–रामगढ़ का हुलिया का पूर्ण विवरणी देते हुए खोजबीन हेतु वितंु संवाद भेजा गया। दिनांक–21.11.2021 को कांड के अनुसंधान एवं सनहा सं०–28/2021, दिनांक– 2011.2021 में उक्त लापता व्यक्ति (1) तेतरी देवी, एवं (2) रामचरण रविदास की खोजबीन एवं जाँच पड़ताल करने हेतु लापता व्यक्तियों के परिवार वालों एवं स्थानीय ग्रामीणों के साथ साडम के जंगली क्षेत्र में काफी खोजबीन की गई, परन्तु कुछ पता नहीं चला। उक्त मामले में पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ के दिशा–निर्देश में दिनांक– 02.12.2021 को गोला थाना सनहा सं०–28/2021, दिनांक 20.11.2021 में लापता व्यक्तियों (1) तेतरी देवी एवं (2) रामचरण रविदास की खोजबीन हेतु पुलिस केन्द्र, रामगढ़ से विशेष रूप से आये सैट के जवानों के साथ एवं स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से साडम एवं आस–पास के जंगली एवं पहाड़ी क्षेत्रों में काफी खोजबीन की गयी, परन्तु दोनों लापता के संबंध में कोई भी सुराग नहीं मिला। तत्पश्चात् सी०आई०जी० प्रकाशन हेतु ज्ञापांक–1022/डी०सी०बी०, दिनांक 03.122021 के माध्यम से पुलिस अधीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, झारखंड राँची को पत्र भेजा गया है। इस संदर्भ में गोला थाना प्रभारी के द्वारा लगातार दिनांक 12.12.2021, 13.12.2021, 14.12.2021, 15.12.2021, 16.12.2021 को लापता व्यक्तियों (1) तेतरी देवी एवं (2) रामचरण रविदास का खोजबीन करने हेतु स्थानीय चौकीदार गुप्तधर एवं स्थानीय ग्रामीणों का सहयोग लेकर साडम एवं उनके आस–पास के जंगली एवं पहाड़ी क्षेत्रों में तथा अन्य संभावित स्थानों पर पता लगाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार स्व० बासुदेव रविदास की पत्नी एवं पुत्र को खोजने, उनके आश्रितों को मुआवजा देने एवं दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका 03 में स्थिति स्पष्ट की गयी है।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक–08/वि०स०(04)–31/2021–4725/ राँची, दिनांक–19/12/2021

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके पत्रांक–2475/वि०स०, दिनांक–15.12.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/12/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

माननीय श्री संजीव सरदार, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–20.12.2021 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–29 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सचिवालय के सेवा के नियमावली, 2010 के नियम–7 (2) में प्रशाखा पदाधिकारी के कुल स्वीकृत पदों का 50 प्रतिशत पद वरीयता सह योग्यता एवं 50 प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भरे जाने का प्रावधन है	स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि कार्मिक विभाग के अधिसूचना संख्या–6125, दिनांक–09.05.2021 के माध्यम से नियम 7(2) को संशोधित करते हुए किसी भर्ती वर्ष में किसी एक माध्यम से उम्मीदवार नहीं मिलने पर रिक्तियों को दूसरे माध्यम में अग्रणीत करने का प्रावधान बनाया गया है	स्वीकारात्मक है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार वित्तीय वर्ष–2022–23 में सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि झारखण्ड सचिवालय सेवा नियमावली, 2010 के नियम–7(4) के प्रावधान के आलोक में सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन से संबंधित नियमावली के गठन की प्रक्रिया में भारत सरकार के सेवा नियमावली के प्रावधान, अन्य राज्यों के सेवा नियमावली के प्रावधान एवं अन्य सेवा के नियमावली के प्रावधानों का अध्ययन के पश्चात् अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक :– 8 / विधायी–02 / 2021 का. 8600 / राँची, दिनांक 17/12/2021

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या 2479 दिनांक 15.12.2021 के प्रसंग में 250 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.12.21
(गुलाम सरवर)
सरकार के अवर सचिव।

(56)

श्री विनोद कुमार सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–20.12.2021 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–11 का उत्तर प्रतिवेदनः–

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या–1862, दिनांक–20.08.1999 के अनुसार नेतरहाट फील्ड फायरिंग रैंज की अवधि 11 मई 2022 को समाप्त हो रही है?	स्वीकारात्मक ।
2. क्या यह बात सही है राज्य में नेतरहाट फील्ड फायरिंग रैंज की उक्त क्षेत्र के ग्रामीणों का व्यापक विरोध हो रहा है, यह एक ईको सेंसेटिव क्षेत्र भी है?	स्वीकारात्मक ।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार समयावधि विस्तार पर रोक लगाने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नही तो क्यों?	इस संबंध में विभाग को अबतक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक–08/वि0स0(04)–28/2021–4729/ राँची, दिनांक–18/12/2021

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके पत्रांक–2439/वि0स0, दिनांक–14.12.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/2021
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री कमलेश कुमार सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–20.12.2021 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–02 का उत्तर प्रतिवेदनः– (57)

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अंतर्गत हुसैनाबाद थाना के कांड संख्या–161/20, दिनांक–03.07.2020 के द्वारा ए०के०सिंह कॉलेज, जपला में व्याप्त भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज है?	स्वीकारात्मक । पलामू जिलान्तर्गत हुसैनाबाद थाना कांड संख्या 161/20, दिनांक 03.07.2020, धारा 409/406/420/467/468/ 471/34 भा०द०वि० के प्राथमिकी अभियुक्त 1. प्रबंधक 2. प्राचार्य 3. पदाधिकारी एवं 4 कर्मचारी सभी ए०के०सिंह कॉलेज, जपला के विरुद्ध कांड दर्ज है।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित हुसैनाबाद थाना कांड संख्या–161/20, दिनांक–03.07.2020 में पर्यवेक्षण पदाधिकारी के द्वारा नामजद प्राथमिकी अभियुक्त के विरूद्ध अभियुक्तिकरण के बिन्दु पर निर्णय लिए जाने के पूर्व 25 बिंदुओं पर जांच हेतु निर्देश दिया गया है परन्तु लगभग 16 माह व्यतीत हो जाने के बाद भी 25 बिंदुओं पर जांच कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। तत्कालीन पर्यवेक्षणकर्ता द्वारा अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण के क्रम में अभियुक्त पक्ष में से प्राप्त आवेदन में उल्लेखित बिन्दुओं तथा निर्देश कंडिका में दिये गये 25 बिन्दुओं पर जाँच/साक्ष्य संकलन पश्चात् अभियुक्तिकरण के बिन्दुओं पर निर्णय लिया जाना उचित पाया गया है तथा वर्तमान पर्यवेक्षणकर्ता द्वारा इस कांड की समीक्षा की गई जिसके दौरान पाया गया कि पर्यवेक्षण टिप्पणी /प्रतिवेदन–02 में दिये गये निर्देश के आलोक में अनुसंधानकर्ता द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर जाँच किया गया है तथा शेष बिन्दुओं पर जाँच/अनुसंधान लंबित पाया गया। तत्पश्चात् पर्यवेक्षण पदाधिकारी के कार्यालय ज्ञापांक 1797/ अनु० दिनांक 08.12.2021 के माध्यम से इस कांड मे प्रगति प्रतिवेदन निर्गत करते हुए पर्यवेक्षण टिप्पणी एवं प्रतिवेदन 02 में दिये गये शेष निर्देश के अलावे अन्य बिन्दुओं पर त्वरित गति से जाँच/साक्ष्य संकलन कर अनुसंधान पूर्ण करने तथा संबंधित दस्तावेजो आदि को जब्त करने हेतु अनुसंधानकर्ता को निर्देश दिया गया है। निकट भविष्य में अभियुक्तिकरण के बिन्दु पर निर्णय सभावित है। कांड अनुसंधानन्तर्गत है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पलामू जिला के हुसैनाबाद थाना के कांड संख्या–161/20, दिनांक–03.07.2020 में पर्यवेक्षण पदाधिकारी के द्वारा नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध अभियुक्तिकरण के पूर्व जाँच हेतु 25 बिंदु क्या–क्या दिए गए हैं तथा इन 25 बिंदुओं के जांच में और कितना समय लगने की संभावना है तथा क्या सरकार नामजद दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ज्ञापांक:–08/वि०स०(04)–29/2021......4723/ राँची, दिनांक–18/12/2021

प्रतिलिपिः–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके पत्रांक–2438/वि०स०, दिनांक–14.12.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(58)

श्री बंधु तिर्की, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–20.12.2021 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–17 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में उग्रवादियों के विरूद्ध अभियान चलाने तथा उसे नेस्तानाबूत करने के लिए वर्ष 2008 में ग्रेहाउण्डस हैदराबाद के तर्ज पर झारखण्ड सरकार की अधिसूचना संख्या–748, दिनांक–19.02.2008 के द्वारा झारखण्ड जगुआर (एस०टी० एफ०) का गठन किया गया था ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि शारीरिक एवं मानसिक रूप से दक्ष पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों को यह कहकर शामिल किया गया था कि उन्हें खतरे भरे ड्यूटी को देखते हुए प्रोत्साहन स्वरूप मूलवेतन का 50 प्रतिशत (STF) भत्ता दिया जायेगा और उसी तर्ज पर वर्ष 2019 के अप्रैल माह तक मूल वेतन का 50 प्रतिशत भुगतान किया गया ;	आंशिक स्वीकारात्मक। वर्तमान समय में छठे वेतनमान के अनुरूप मूलवेतन का 50 प्रतिशत STF भत्ता का भुगतान किया जा रहा है। सातवें वेतनमान में मूल वेतन में अप्रत्याशित वृद्धि के फलस्वरूप नये (7 वाँ) वेतनमान के अनुरूप STF भत्ता एवं अन्य सुविधा का पुनरीक्षण वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।
3	क्या यह बात सही है कि मंत्रिमण्डल के स्वीकृति के बगैर गई 2019 से वर्तमान वेतनमान के जगह पर वर्ष 2006 के षष्टम वेतनमान् के आधार पर प्रोत्साहन भत्ता परिवर्तित कर दिया गया ;	अस्वीकारात्मक। मंत्रिपरिषद् द्वारा निर्णय लिया गया था कि STF के पदाधिकारियों/कर्मियों को मिलने वाले STF भत्ता एवं अन्य विशेष सुविधा सातवें वेतनमान के आलोक में पुनरीक्षित करने हेतु गठित समिति की अनुशंसा पर राज्य सरकार के निर्णय से अध्यादित होगा।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पूर्व की भाँति खतरे भरे ड्यूटी को देखते हुए प्रोत्साहन स्वरूप मूल वेतन का 50 प्रतिशत (STF) भत्ता देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सातवें वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित वेतनमान में छठें वेतनमान की तुलना में मूल वेतन में अप्रत्याशित वृद्धि के फलस्वरूप वर्ष 2008 के संकल्प के अनुसार मूल वेतन का 50 प्रतिशत STF भत्ता के निर्णय को राज्य सरकार के सीमित संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में STF भत्ता एवं अन्य विशेष सुविधा को सातवें वेतनमान के आलोक में पुनरीक्षित करने हेतु छः सदस्यीय समिति का गठन किया गया। तदोपरांत मंत्रिपरिषद् द्वारा निर्णय लिया गया था कि STF के पदाधिकारियों/कर्मियों को मिलने वाले STF भत्ता एवं अन्य विशेष सुविधा सातवें वेतनमान के आलोक में पुनरीक्षित करने हेतु गठित समिति की अनुशंसा पर राज्य सरकार के निर्णय से अध्यादित होगा। STF भत्ता एवं अन्य विशेष सुविधा के पुनरीक्षण हेतु गठित समिति की कई बैठकों के उपरान्त समिति की अनुशंसा विभाग को प्राप्त हो गई है जिस पर राज्य सरकार का अंतिम निर्णय प्रक्रियाधीन है। राज्य सरकार के निर्णय के उपरान्त सातवें वेतनमान के आलोक में पुनरीक्षित STF भत्ता एवं अन्य विशेष सुविधा लागू कर दी जायेगी।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–12/वि०स०–8003/2021–4891/ राँची, दिनांक– 18/12/2021।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–2443, दिनांक–14.12.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

डॉ0 लम्बोदर महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–20.12.2021 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–05 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार ने राज्य के अनुसूचित जनजति के लोगों के लिए सदा के लिए एक ही बार जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि सरकार ने ऐसा निर्णय राज्य के पिछड़े वर्गो एवं अनुसूचित जाति के लोगों के लिए नहीं लिया है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अनुसूचित जनजातियों की भांति पिछड़ी जातियों एवं अनुसूचित जातियों के लिए भी हमेशा के लिए एक ही बार जाति प्रमाण निर्गत करने का निर्णय लेना चाहती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों?	वस्तुस्थिति यह है कि परिपत्र सं0–1754, दिनांक–25.02.2019 की कंडिका 8 के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र की वैधता स्थायी होगी। उपर्युक्त परिपत्र की कंडिका 8.2 द्वारा झारखण्ड राज्य में नियोजन/तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों में दाखिला में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II) का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र की वैधता अगले आदेश तक के लिए होगी, किन्तु क्रीमीलेयर में नहीं होने सम्बन्धी अद्यतन स्वघोषणा पत्र (संलग्न फार्म संख्या–15) संलग्न करने पर ही वित्तीय वर्ष अथवा उसके पूर्व निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र मान्य किये जाने का निर्णय संसूचित है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14/झा0वि0स0–07–81/2021 का0–8604 /रांची, दिनांक 18/12/2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं0–2451, दिनांक–14.12.2021 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/12/21
(संजय कुमार रजक)
सरकार के अवर सचिव।

श्री कमलेश कुमार सिंह, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–20.12.2021 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–01 का उत्तर प्रतिवेदन :– (60)

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला बल के आरक्षी 284 मदनजीत सिंह की मृत्यु दिनांक–01.01.2021 को अपने कर्त्तव्य के निर्वहन करते हुए स्कॉट ड्यूटी के दौरान हो गई थी ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि स्व० मदनजीत सिंह की आश्रित पत्नी श्रीमती रंजू कुमारी सिंह को अनुकम्पा के आधार पर लिपिक के पद पर नियुक्ति के संदर्भ में पुलिस अधीक्षक, पलामू के पत्रांक–813, दिनांक–29.03.2021 के द्वारा पुलिस उपमहानिरीक्षक (बजट) झारखण्ड, रांची से मार्गदर्शन मांगा गया है, परंतु 08 माह व्यतीत हो जाने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है;	सम्प्रति मामला प्रक्रियाधीन है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार झारखण्ड पलामू जिला बल के मृत आरक्षी 284 स्व० मदनजीत सिंह कि आश्रित स्नातक पत्नी श्रीमती रंजू कुमारी सिंह को अनुकम्पा के आधार पर लिपिक के पद पर नियुक्त करने का विचार रखती है, हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–15 / वि०स०–14 / 2021–...4894.../ रॉंची, दिनांक– 19/12/2021 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–2437, दिनांक–14.12.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/12/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

F:\Sandeep 2017\Sec-7\Sandeep Vidhansabha\Chandan 8\Question (Shilaha) 21.doc

(61)

श्री मनीष जायसवाल, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–20.12.2021 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–16 का उत्तर ।

क्रम सं०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2001 से अबतक सिविल डिपोजिट मद में कुल 7339 करोड़ रूपये राशि पड़ी है ?	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि सरकार खण्ड–01 में वर्णित राशि से जनहित की सैकड़ो योजनाओं का कार्यान्वयन कर लोगों को मूलभूत सुविधाएँ दी जा सकती है ?	जनहित की योजनाओं के क्रियान्वयन में सरकार सतत् प्रत्यनशील है। लोगों को मूलभूत सुविधाएँ देने के लिए सरकार अनवरत व्यय कर रही है।
3.	क्या यह बाद सही है कि राज्य में सरकार द्वारा राशि का बहाना बनाकर वर्षों पुरानी जनहित योजनाओं को अबतक आधी अधूरी छोड़ दी गई है तथा उक्त राशि से सैकड़ों लंबित एवं नई योजनाओं की शुरूआत करने से सैकड़ों लोगों को लाभ मिलेगी ?	अस्वीकारात्मक। सिविल डिपॉजिट एक Mode of Payment है। बजट की प्रक्रिया वर्षवार होती है। बजट में उपबंधित योजना की राशि वर्ष विशेष में व्यय की जाती है और वर्ष के अन्त में अवशेष राशि (Unspent money) को Surrender कर दिया जाता है और योजना का कार्य पुनः अगले वर्ष के बजट उपबंध के बाद प्रारम्भ होता है। वैसी योजना जो निरंतर कई वर्षों तक चलती है, वित्तीय वर्ष के समापन पर कार्य अवरूद्ध न हो उसके लिए लोक निर्माण संहिता के अन्तर्गत सिविल डिपॉजिट का वैधानिक प्रावधान है ताकि राशि व्ययगत (Lapse) न हो एवं निर्माण का कार्य निरन्तर चलता रहे। सिविल डिपॉजिट में रक्षित राशि से व्यय सतत् होते रहते हैं, सिविल डिपॉजिट में राशि केवल Works Deposit के लिए नहीं होता है, वरण् अन्य कार्यों के लिए भी होता है, जैसे Civil Court, Criminal Court Deposit, Security Deposit आदि। वित्तीय वर्ष 2019–20 में सिविल डिपॉजिट 9339.00 करोड़ रूपये में से Works Deposit मात्र 4492.33 करोड़ रूपये है और वित्तीय वर्ष 2019–20 में Works Deposit से 2302.26 करोड़ रूपये का व्यय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची द्वारा प्रतिवेदित है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित एवं राज्यहित में खण्ड–01 में वर्णित राशि से राज्य में लंबित सभी जनहित योजनाओं को चालू वित्तीय वर्ष में पूरा कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	खण्ड–01 में वर्णित राशि 9339.00 करोड़ में लोक निर्माण कार्य जमा मात्र 4492.33 करोड़ रूपये है और इस खाते में प्रत्येक वर्ष राशि जमा होती रहती है और इसी खाता से व्यय भी होती रहती है। यह वैधानिक प्रक्रिया है।

झारखण्ड सरकार
वित्त विभाग

ज्ञापांक : 10/वि०स०(4)–43/2021/ 537 /वि०स० रॉंची, दिनांक : 17/12/2021

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, रॉंची के ज्ञापांक–2445/वि०स०, दिनांक–14.12.2021 के सन्दर्भ में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियाँ अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

17.12.2021

(बिनय कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव,
वित्त विभाग, झारखण्ड, रॉंची ।

(62)

श्री बिरंची नारायण, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या–14 का उत्तरः–

	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि नवम्बर 2021 में भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर क्रमशः 5 रूपये प्रतिलीटर और 10 रूपये प्रतिलीटर एक्साईज ड्यूटी कम करते हुए सभी राज्यों से भी वैट कम करने का आग्रह किया था और इसके बाद 22 राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों ने वैट में कमी की है, लेकिन झारखण्ड ने अभी तक वैट की दरों में कमी नहीं की है;	माह नवम्बर, 2021 में भारत सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर क्रमशः 5 रूपये प्रतिलीटर और 10 रूपये प्रतिलीटर एक्साईज ड्यूटी कम किया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि पेट्रोल –डीजल पर वैट की दर 22 प्रतिशत है और 1 रूपये प्रतिलीटर सेस सहित यह 25 प्रतिशत हो जाता है;	उत्तर अस्वीकारात्मक। पेट्रोल पर वैट की दर 22 प्रतिशत अथवा रू0 17.00 जो भी अधिक हो, तथा 1 रूपया सेस निर्धारित है। डीजल पर वैट की दर 22 प्रतिशत अथवा रू0 12.50 जो भी अधिक हो, तथा 1 रूपया सेस निर्धारित है। दिनांक 16.12.2021 को प्रचलित बिक्री मूल्यों के आधार पर पेट्रोल पर 18.24 रूपये प्रतिलीटर (सेस सहित) एवं डीजल पर 17.21 रूपये प्रतिलीटर (सेस सहित) वैट राज्य को प्राप्त होता है जो कि 25 प्रतिशत नहीं है।
3	क्या यह बात सही है कि जब झारखण्ड में वैट की दर 18 प्रतिशत थी, 2015 में राज्य में डीजल की कुल बिक्री 145000 किलोलीटर थी, जबकि वर्तमान में 5 वर्ष बाद वैट की दर 22 प्रतिशत होने से अक्टूबर 2021 में डीजल की कुल बिक्री घट कर 123000 किलोलीटर हो गई है;	उत्तर अस्वीकारात्मक। एस0ओ0 संख्या 61 दिनांक 10.02.2010 द्वारा डीजल पर 20 प्रतिशत वैट अधिरोपित किया गया था जिसे स0ओ0 संख्या 73 दिनांक 24.02.2015 के द्वारा 22 प्रतिशत किया गया। वर्तमान में एस0ओ0 संख्या 27 दिनांक 28.06.2020 के द्वारा डीजल पर 22 प्रतिशत अथवा रू0 12.50 जो भी अधिक हो, निर्धारित है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में डीजल की कुल बिक्री 16.41 लाख किलोलीटर थी जबकि वित्तीय वर्ष 2021–22 में माह अक्टूबर 2021 तक डीजल की कुल बिक्री 9.52 लाख किलोलीटर है। माह मार्च से मई 2021 तक Covid-19 महामारी के कारण बिक्री प्रभावित रही है।

4	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड के पड़ोसी बिहार ने वैट की दर 19 प्रतिशत से घटाकर 16.37 प्रतिशत की है इसी प्रकार उत्तर प्रदेश ने पेट्रोल पर प्रतिलीटर 5 रूपये और डीजल पर प्रतिलीटर 2 रूपये की दर से वैट घटाया है और पश्चिम बंगाल में वैट 17 प्रतिशत है जिस कारण बड़े ट्रान्सपोर्टर इन्ही पड़ोसी राज्यों से खरीददारी कर रहे हैं, और सरकार एवं राज्य के पेट्रोल पंप संचालकों को इससे नुकसान हो रहा है;	— उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। दिनांक 16.12.2021 को पड़ोसी राज्यों एवं झारखण्ड राज्य में डीजल पर प्रचलित बिक्रय मूल्य का ब्यौरा निम्नवत् है – झारखण्ड राज्य द्वारा कोरोना काल में पेट्रोल एवं डीजल के कर–दर में कोई वृद्धि नहीं की गयी है।
5	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार, व्यापक जनहित में राज्य की जनता को मंहगाई से निजात दिलवाने हेतु पेट्रोल डीजल पर से वैट की दर को कम करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों?	वर्तमान में विभाग द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

राज्य	पेट्रोल का बिक्रय मूल्य (रू0 प्रतिलीटर)	डीजल का बिक्रय मूल्य (रू0 प्रतिलीटर)
झारखण्ड	**98.42**	**91.56**
बिहार	105.90	91.09
पश्चिम बंगाल	104.67	89.79
उत्तर प्रदेश	95.14	86.68

झारखण्ड सरकार
वाणिज्य–कर विभाग

ज्ञापांक:–वा0– कर/वि0मं0/11/2021-3812 /राँची, दिनांक:– 17-12-21

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 2456 दिनांक 14.12.2021 के आलोक में उत्तर की 200 प्रतियाँ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रामचन्द्र प्रसाद बर्णवाल)
राज्य–कर संयुक्त आयुक्त।

श्री अमित कुमार मंडल, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–20.12.2021 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–08 का उत्तर प्रतिवेदन। 63

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड असैनिक सेवा प्रतियोगिता (प्रारंभिक परीक्षा) 2021 विज्ञापन संख्या 01/2021 में अनुक्रमांक 52236888 को 230 अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण घोषित किया गया है;	अस्वीकारात्मक। झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के पत्रांक 3072 दिनांक 16.12.2021 द्वारा प्राप्त उत्तर प्रतिवेदन के अनुसार अनुक्रमांक 52236888 का एक OMR अनुपलब्ध रहने के कारण आयोग द्वारा राज्यहित एवं छात्रहित में औपबंधिक रूप से मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अनुमति दी गई थी। तथापि मामले में जाँच की कार्रवाई जारी रही। जाँचोपरांत उक्त अभ्यर्थी का अपनी कोटि के विरूद्ध निर्धारित कट–ऑफ से कम अंक प्राप्त करने के कारण असफल घोषित किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–एक के अभ्यार्थी B.C-1 श्रेणी में आते है जिसका कट ऑफ मार्क्स 252 है;	अस्वीकारात्मक। झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के पत्रांक 3072 दिनांक 16.12.2021 द्वारा प्राप्त उत्तर प्रतिवेदन के अनुसार उक्त अनुक्रमांक के अभ्यर्थी B.C-1 श्रेणी में नहीं आते है।
3.	क्या यह बात सही है कि J.P.S.C के पी०टी० रिजल्ट के रोल नम्बर 52342865 से 52342886 तक एवं 52236375 से 52238772 तक क्रमवार अभ्यार्थीयों को उत्तीर्ण कर दिया गया है, जो राज्य के किसी भी परीक्षा केन्द्र के तुलना में सर्वाधिक रहा है, जो दर्शाता है कि स्थानीय स्तर पर परीक्षा केन्द्र का प्रबंधन में अनियमितता की गई है;	अस्वीकारात्मक। झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के पत्रांक 3072 दिनांक 16.12.2021 द्वारा प्राप्त उत्तर प्रतिवेदन के अनुसार अनुक्रमांक 52342865 से 52342886 का एक OMR अनुपलब्ध रहने के कारण राज्यहित एवं छात्रहित में औपबंधिक रूप से मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अनुमति दी गई थी, तथापि जाँच की कार्रवाई जारी रही। जाँचोपरांत उक्त सभी अनुक्रमांक के अभ्यर्थी अपनी–अपनी कोटि के विरूद्ध निर्धारित कट–ऑफ से कम अंक प्राप्त करने के कारण असफल घोषित किये गये है। अनुक्रमांक 52236375 से 52238772 के बीच के अभ्यर्थी क्रमवार सफल घोषित नहीं किए गए हैं।
4.	क्या यह बात सही है कि 6वीं J.P.S.C के पी०टी० रिजल्ट की तुलना में 7वीं से 10वीं JPSC पी०टी० रिजल्ट में सामान्य श्रेणी का कट ऑफ 26 प्रतिशत बढ़ा है, जो देश के किसी भी सिविल सेवा परीक्षा की तुलना में अप्रात्याशित रहा है;	झारखण्ड लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2021 के प्रारंभिक परीक्षा के परीक्षाफल में सामान्य श्रेणी का कट–ऑफ 260 है। आयोग के वेबसाइट पर संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2016 के प्रारंभिक परीक्षा के परीक्षाफल में श्रेणीवार कट–ऑफ से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं है एवं आयोग द्वारा उत्तर प्रतिवेदन में भी इसका उल्लेख नहीं किया गया है। फलतः इस संबंध में आयोग से प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

कृ०पृ०उ०

5.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–2 एवं 3 में बस्ती अनियमितता के कारण खण्ड–4 के कट ऑफ में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है, जो अनियमितता की ओर इशारा करती है;	उपर्युक्त कंडिकाओं में वस्तुस्थिति स्पष्ट की गई है।
6.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अनियमितता पूर्ण हुए परीक्षा परिणाम की न्यायिक जाँच कराते हुए, पुनः परीक्षा आयोजित करने की मंशा रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में वस्तुस्थिति स्पष्ट की गई है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–11/वि0स0–06–29/2021 का0 8573 /राँची दिनांक– 17 दिसम्बर, 2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 2447 दिनांक 14.12.2021 के प्रसंग में 250 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री चन्द्रभूषण प्रसाद, नोडल पदाधिकारी–सह–उप सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/12/2021

(दिलीप कुमार साह)
सरकार के अवर सचिव।